कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा, (झारखंड)

Joint Agriculture Building, Sarkheldih, Jamtara, Jharkhand.

ई–मेल : atmajmt@gmail.com

पत्रांकः– 99 /उद्यान जामताड़ा/दिनांक 26/08/2025

प्रेषक,

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

सेवा में,

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
जामताड़ा।

विषयः– सूचना प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करते हुए कहना है कि उद्यान निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित उद्यान विकास की योजना से संबंधित सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरकार के सचिव, कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या– 42 दिनांक 13.08.2025 के आलोक में राज्य योजना "उद्यान विकास की योजना" अन्तर्गत अनुदानित दर पर निम्नांकित कार्य अवयवों हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है, वर्त्तमान में लक्ष्य अप्राप्त है।

क्र0	योजना कार्य अवयव	अभियुक्ति
1	2	3
1	युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण	उम्र:20–40, मैट्रिक
2	मिर्चा की खेती (हे0)	अधिकतम अनुदान 40 प्रतिशत
3	ओल की खेती (हे0)	अधिकतम अनुदान 40 प्रतिशत
4	अदरख की खेती (हे0)	अधिकतम अनुदान 40 प्रतिशत
5	खुले वातावरण में फूलों की खेती (एकड़ में) (गेन्दा एवं ग्लेडियोलस)	अधिकतम अनुदान 50 प्रतिशत
6	संरक्षित फूलों की खेती (हे0 में)	अधिकतम अनुदान 50 प्रतिशत
7	गृह वाटिका की स्थापना (प्रति इकाई 25 डिसमिल)	
8	सब्जी की तकनीकी खेती हेतु प्रत्यक्षण (प्रति इकाई हे0)	अधिकतम अनुदान 0.10 रूपये
9	मशरुम किट वितरण सह पाँच दिवसीय प्रशिक्षण (ईकाई)	
10	कीट रहित सब्जी उत्पादन (इकाई में)	अधिकतम अनुदान 75 प्रतिशत
11	टिशू कल्चर स्टॉबेरी की खेती (हे0 में)	
12	टिशू कल्चर केला की खेती (हे0 में)	
13	पॉली हाउस का निर्माण(500 / 1000 sq.mt.)	
14	गुणवत्तायुक्त सब्जी, फूल, फल विचड़ा उत्पादन (सैपलिंग / नर्सरी)	

योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक / स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया / जनप्रतिनिधि / जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र / आधार कार्ड / बैंक पासबुक विवरणी / मोबाईल नम्बर / जमीन का रकबा / सब्जी का नाम / जमीन का खाता संख्या / प्लॉट नम्बर के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए आवेदन पत्र दिनांक– 15.09.2025 के संध्या 5:00 बजे तक जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सर्खेलडीह, जामताड़ा में जमा कर सकते है।

लाभुक का चयन पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अनुदान हेतु लाभुक चयन के लिए निम्नाकित न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक होगा–

1. आवेदन पूर्ण रुप से भरा हुआ एवं सभी कागजात के साथ होगा।
2. आवेदन की प्रति मुखिया अथवा अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित किया हुआ हो।
3. आवेदक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों तक इस योजना कार्य अवयव का लाभ नहीं लिया हो–
4. आवेदक के पास पर्याप्त भूमि हो तथा सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हों।
5. कृषक अंशदान की राशि व्यय करने को इच्छुक हो।
6. आवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
7. लाभुक के चयन में FPO / प्रगतिशील कृषकों / महिला स्वयं सहायता समूह / सिंचाई सुविधा युक्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. विशेष परिस्थिति में किसी भी आवेदन को स्वीकृत करना या रद्द करने का अधिकार जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसपर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सर्खेलडीह, जामताड़ा से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन का प्रारूप atmajamtara.org.in पर उपलब्ध है।

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।